13

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/17–18/ दिनांकः 01.10.2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, **परिपत्र संख्या–1**
माध्यमिक शिक्षा

विषय :– शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा–9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्रा को निःशुल्क साईकिलों के तकनीकी निरीक्षण व वितरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– 1.साईकिल दिशा–निर्देश क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/17–18 दिनांक 30.08.2017
2.साईकिल दिशा–निर्देश क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/17–18 दिनांक 06.09.2017

शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा–9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्रा को निःशुल्क साईकिल वितरण के सम्बन्ध में आपूर्ति आदेश दिनांक 30.08.2017 को जारी किये जा चुके है । फर्मो द्वारा निर्धारित नोडल केन्द्रों पर साईकिल की आपूर्ति दिनांक 04.09.2017 से प्रारम्भ की जा चुकी है । साईकिल निरीक्षण व वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 30.08.2017 एवं 06.09.2017 के द्वारा पूर्व में ही जारी किये जा चुके है । साईकिलों की जांच व वितरण के सम्बन्ध में पूर्व में जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. निविदा प्रलेख की शर्तो के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म असैम्बिलिंग के पश्चात् तकनीकी जांच हेतु प्रस्तुत की गई समस्त साईकिलों का रेन्डम आधार पर शत–प्रतिशत जांच सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी कमेटी के माध्यम से करवाया जाना अनिवार्य है ।
2. निविदा प्रलेख की अनुसूची–2 में निर्धारित तकनीकी माप दण्डो व निदेशालय स्तर से उपलब्ध करवाये गये सैम्पल साईकिल के आधार पर फर्म द्वारा असैम्बिलिंग के पश्चात् तकनीकी जांच हेतु प्रस्तुत की गई समस्त साईकिलों की गहनता से जांच करे ।
3. गठित तकनीकी कमेटी को रेन्डम आधार पर शत–प्रतिशत साईकिलों की तकनीकी जांच के पश्चात् ही जांच रिपोर्ट जारी करें ।
4. निविदा प्रलेख की शर्तो के अनुसार फर्म द्वारा जांच में उपलब्ध करवाये गई साईकिलें तकनीकी रूप से सही स्थिति में होना जरूरी है । अगर फर्म द्वारा जांच हेतु प्रस्तुत की गई साईकिलें तकनीकी रूप से सही नहीं है तो दोषपूर्ण साईकिलों की जांच नहीं करें । फर्म को दोषपूर्ण साईकिलों के स्थान पर सही साईकिलें जांच हेतु प्रस्तुत करने हेतु तत्काल लिखित में निर्देशित किया जावे ।
5. जांच कमेटी निर्धारित तकनीकी मानकों के आधार पर साईकिलों के सही पाये जाने व जांच रिपोर्ट जारी करनें के पश्चात् ही छात्राओं को साईकिलों का वितरण सुनिश्चित करें ।
6. नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा साईकिलों की तकनीकी जांच रिपोर्ट जारी होने के पश्चात् ही अधीनस्थ विद्यालयों को साईकिलों का आवंटन करें ।
7. नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा साईकिलों की जांच के पश्चात् व वितरण से पूर्व किसी भी प्रकार की कमी/खराबी पाये जाने की स्थिति में साईकिलों का वितरण अधीनस्थ शाला प्रधानों को आवंटन नहीं करें । इस सम्बन्ध में तत्काल फर्म के प्रतिनिधि को दोषपूर्ण साईकिल हटानें हेतु लिखित में निर्देशित करें ।
8. छात्राओं को साईकिल वितरण के कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जावे तथा साईकिलों का वितरण सम्भवतः जन–प्रतिनिधियों की उपस्थिति में करें ।
9. सम्बन्धित शाला प्रधान नोडल केन्द्र से साईकिल का परिवहन कर छात्राओं को साईकिलों का वितरण सुनिश्चित किया जावे । छात्राओं को साईकिल सम्बन्धित विद्यालय में ही वितरित की जानी अनिवार्य है।
10. साईकिल निरीक्षण/वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सक्षम अधिकारी घोषित है। साईकिल निरीक्षण व वितरण के सम्बन्ध में जारी समस्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें ।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर